



स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - ११० ००१

वेबसाइट: www.stclimited.co.in.

दूरभाष: २३३१३१७७ फ़ैक्स: 23710298, 23701136, 23462337

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Website: www.stclimited.co.in.

Telephone: 23313177 Fax: 23710298, 23701136, 23462337

GENERAL IMPORTS DIVISION

(5TH FLOOR)

INVITATION TO TENDER

TENDER NO: STC/CO/FGI/GID/01485/2019-20

Dated: 29.11.2019

The STC of India Limited is a Govt. Company, registered under The Companies Act, 1956 (under the administration and control of the Ministry of Commerce and Industry), having Corporate Office at Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 (hereinafter called 'STC'). STC is a Premier International Trading Organization of India with experience of handling international and domestic business for around six decades and has been handling import and export of various kinds of products and commodities. STC achieved a business turnover of Rs. 8,893 Cr. in 2018-19.

दि एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन और नियंत्रण के अधीन) एक सरकारी कंपनी है जिसका कार्पोरेट कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 (यहाँ इसके बाद एसटीसी कहा गया है) में है । एसटीसी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है जिसे लगभग 6 दशकों से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार करने का अनुभव है तथा जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद और वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है । एसटीसी ने 2018-19 में रुपए 8,893 करोड़ का व्यापार कारोबार अर्जित किया ।

The General Imports Division of STC regularly imports Equipments for and behalf of various Central & State Government Departments. The General Imports Division invites offers from reputed Custom House Clearing & Forwarding Agents for (i) Custom Clearance of consignments arriving by Air at any Indian Airport (ii) consignments arriving at any Indian Sea ports and Inland Cargo Depots (ICD).

एसटीसी का सामान्य आयात प्रभाग केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के लिए और उनकी ओर से नियमित रूप से उपकरणों का आयात करता है । सामान्य आयात प्रभाग प्रतिष्ठित कस्टम हाउस क्लियरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंटों से ।) किसी भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज द्वारा पहुँचने वाले परेषणों एवं ।।) किसी भारतीय समुद्री पत्तन और अंतरदेशीय कार्गो डिपो (आईसीडी) पर पहुँचने वाले परेषणों के कस्टम क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है ।

Following Attachments with Annexures enclosed are part of invitation to Bid.

Attachment-I	Special Instructions to Tenderers
Attachment-II	Tender Form
Attachment-III	General Instructions to the tenderers for filling up of the Tender
Attachment-IV	Terms & Conditions of the contract
Annexure A	Agency charges for imported consignments
Annexure B	Format for justification for demurrage

संलग्न अनुलग्नकों सहित निम्नलिखित संलग्नक निविदा आमंत्रण का भाग हैं -

संलग्नक - I	निविदाकर्ताओं को विशेष हिदायतें
संलग्नक - II	निविदा फार्म

संलग्नक - III

निविदा भरने के लिए निविदाकर्ताओं को सामान्य
हिदायतें

संलग्नक - IV

संविदा की निबंधन और शर्तें

अनुलग्नक - क

आयातित परेषणों हेतु एजेंसी प्रभार

अनुलग्नक - ख

विलम्ब शुल्क के औचित्य हेतु फार्मेट

Attachment I

SPECIAL INSTRUCTIONS TO TENDERERS

1	ENQUIRY NO.	:	STC/CO/FGI/GID/01485/2019-20
2	Tender Fee (Non-Refundable)	:	Rs 6,000 (Rupees Six Thousand only) inclusive of GST as per Clause No. 3 of Attachment -III
3	Tender closing date and time	:	23.12.2020, 2019 15:00 Hours
4	Tender opening date and time	:	23.12.2020 15:30 Hours
5	Venue of Bid opening	:	New Delhi
6	Earnest Money	:	Rs.10,000/- (Rs. Ten Thousand Only) as per clause No. 7 of Attachment- III
7	Contract period	:	Two years which may be extendable for a further period of one year, at the sole discretion of STC
8	Penalty Formula	:	The tenderer should carefully go through the penalty formula given in the tender documents before submitting their offers.
9	Name of work	:	Appointment of Custom House Clearing & Forwarding Agent for (i) Custom Clearance of consignments arriving by Air at any Indian Airport (ii) consignments arriving at any Indian Sea ports and (iii) Consignments arriving at Inland Cargo Depots (ICD).
10	Submission of tenders	:	Tenders should be submitted in the physical format, in the Tender box placed on the Ground Floor of STC's reception.
11	Compensation for submission of tenders	:	The tenderer shall not be entitled to claim any cost, charges, or incidentals for or in connection with the preparation of and submission of their tenders, though STC may withdraw

- invitation to tenders without assigning any reason thereof.
- 12 Tender documents : Duly signed and stamped tender document should be enclosed along with offer as token of acceptance of our terms & Conditions.
- 13 Postponement of tender opening date : STC reserves the right to postpone opening date and/or time. Any corrigendum shall be uploaded on websites only and no press advertisement shall be published for the same.
- 14 STC's right : STC reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reasons thereof.

15. Please send all communications/enquiries giving reference of Enquiry No.-

To
Deputy General Manager (Marketing)
General Imports Division
The State Trading Corporation of India Limited
Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg
New Delhi – 110001
Tel. Nos. : 011-23462129/ 23462277/23462106

Email: akhil@stclimited.co.in, sameer@stclimited.co.in, sagarmehta@stclimited.co.in

16. Tenderers must submit their offer in two covers/ parts i.e. Technical Bid Part and Price Bid Part.

A. Following documents are required to be submitted as part of Technical bid part-

1. Tender Fee & EMD in the form of Demand Drafts/NEFT/RTGS. Separate demand drafts for tender fee and EMD to be submitted. STC's Bank details are under Sr. No. 7, Attachment III.

2. Complete set of STC's Tender Document duly signed and stamped on each page as token of your acceptance of all terms and conditions of tender without any deviation.
 3. Details of similar jobs done in last three years.
 4. Certified Audited balance sheet for the last three financial years.
 5. Copy of valid CHA License.
 6. PAN/TIN No. & GST NO.
 7. Information/documents as per Sr. no. 11 of attachment – III
- B. The "Price Bid Part" must contain Price Bid (Format enclosed) which must be duly signed & stamped as per Annexure A.

Tenderers are requested to go through the documents thoroughly and ensure submission of tenders in time. No condition or deviation should be mentioned by the tenderer in price bid. **Offers where party has mentioned any condition or deviation in price bid shall be liable to be ignored/rejected without any further reference.**

संलग्नक - I

निविदाकर्ताओं को विशेष हिदायतें

1. पूछताछ संख्या : एसटीसी/सीओ/एफजीआई/जीआईडी/01485/2019-20
2. निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) : रुपए 6,000.00 जीएसटी जोड़ कर (रुपए छह हजार केवल) संलग्नक -III के खंड सं. 3 के अनुसार
3. निविदा बंद होने की तारीख और समय : 23.12.2019 15:00 बजे
4. निविदा खुलने की तारीख और समय : 23.12.2019 15:30 बजे
5. निविदा खुलने का स्थान : नई दिल्ली
6. धरोहर राशि : रुपए 10,000.00 (रुपए दस हजार केवल) संलग्नक -III के खंड सं. 7 के अनुसार
7. संविदा की अवधि : 2 वर्ष जो एसटीसी के निर्णय पर एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है ।

8. जुर्माने का फार्मूला : निविदाकर्ता को अपने ऑफर प्रस्तुत करने से पहले निविदा कागजातों में दिए गए जुर्माना फार्मूले को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए ।
9. कार्य का नाम : कस्टम हाउस क्लियरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट की नियुक्ति ।) किसी भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज द्वारा पहुँचने वाले परेषणों एवं ।।) किसी भारतीय समुद्री पत्तन और (।।) अंतरदेशीय कार्गो डिपो (आईसीडी) पर पहुँचने वाले परेषण के कस्टम क्लियरेंस ।
10. निविदाओं की प्रस्तुति : निविदाएँ भौतिक रूप में एसटीसी के भूतल तल स्थित स्वागत कक्ष में रखे निविदा बक्से में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
11. निविदाएँ प्रस्तुत करने हेतु प्रतिपूर्ति : निविदाकर्ता अपनी निविदाओं को प्रस्तुत करने और तैयार करने के संबंध में या किसी लागत, प्रभार या आकस्मिक खर्च हेतु दावे का पात्र नहीं होगा । हालांकि एसटीसी निविदाकर्ताओं का आमंत्रण बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकता है ।
12. निविदा कागजात : विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगे निविदा कागजात ऑफर सहित हमारी निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में संलग्न किए जाएँ ।
13. निविदा खुलने की तारीख का स्थगन : एसटीसी के पास निविदा खुलने की तारीख और / या समय को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है । कोई शुद्धिपत्र केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा और इसके लिए कोई प्रेस विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
14. एसटीसी का अधिकार : एसटीसी के पास किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. कृपया पूछताछ संख्या का हवाला देते हुए सभी पत्राचार इस पते पर भेजें :-
सेवा में,

उप महाप्रबंधक (विपणन),

सामान्य आयात प्रभाग

दि एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड,

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग,

नई दिल्ली-110001

टेलीफोन नं. 011-23462129/23462277/23462106

ईमेल : akhil@stclimited.co.in, sameer@stclimited.co.in, sagarmehta@stclimited.co.in

16. निविदाकर्ता अपने ऑफर 2 कवरों / भागों यानि तकनीकी निविदा भाग और मूल्य निविदा भाग में प्रस्तुत करें ।

क) तकनीकी निविदा भाग के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं-

1. निविदा शुल्क एवं ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के रूप में । निविदा शुल्क एवं ईएमडी हेतु अलग डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाए । बैंक विवरण संलग्न (III) खंड सं. 7 में उपलब्ध है ।
2. प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगा, बिना किसी विचलन के निविदा की सभी निबंधनों और शर्तों की आपकी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में एसटीसी के निविदा कागजात का पूरा सेट ।
3. पिछले 3 वर्षों में किए गए इसी प्रकार के कार्यों का ब्यौरा ।
4. पिछले 3 वित्तीय वर्षों का सत्यापित लेखा - परीक्षित तुलनपत्र ।
5. वैध सीएचए लाइसेंस की प्रति ।
6. पैन/टिन सं. एवं जीएसटी सं. ।
7. संलग्नक III की क्रम संख्या 11 के अनुसार सूचना / कागजात ।

ख) "मूल्य निविदा भाग" में मूल्य निविदा (प्रारूप संलग्न) निहित हो, जो अनुलग्नक "क" के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी हो ।

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे कागजातों को सही प्रकार से देख लें और निविदाओं की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करें । निविदाकर्ता द्वारा मूल्य निविदा में कोई शर्त या

विचलन उल्लेखित न की जाए । ऑफर, जहाँ पार्टी ने मूल्य निविदा में किसी शर्त या विचलन का उल्लेख किया है, उसे बिना किसी आगे के संदर्भ के अनदेखा किया जाएगा/ रद्द कर दिया जाएगा ।

धन्यवाद,

भवदीय

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

उप महाप्रबंधक(विपणन)

[ON BIDDER'S LETTER HEAD DULY SIGNED]

TENDER NO: STC/CO/FGI/GID/01485/2019-20

Dated :

TENDER FORM

To

Deputy General Manager (Marketing)
General Imports Division
The State Trading Corporation of India Ltd.,
Jawahar Vyapar Bhavan,
Tolstoy Marg
New Delhi-110001

Sub Submission of Tender for Appointment of Custom House Clearing & Forwarding Agent For Custom Clearance & handling of (i) consignments arriving by Air at any Indian Airport (ii) consignments arriving at any Indian Sea ports, and Inland Cargo Depots (ICD).

Dear Sir,

I/we submit this tender for Appointment of Custom House Clearing & Forwarding Agent for Custom Clearance & handling of (i) STC's consignments arriving by Air at any Indian Airport (ii) STC's consignments arriving at any Indian Sea ports, and Inland Cargo Depots (ICD)

I/We have thoroughly examined the terms and conditions given in the invitation to tender and its Attachments and Annexures and agree to abide by them. The rates at which I/We offer to carry out the work have been stated in the enclosed Annexure and it is confirmed that no other charges would be payable to me/ us.

I/We have deposited the Earnest money of Rs. 10,000/- (Ten thousand only) by a crossed demand draft/RTGS/NEFT No..... dated..... drawn onbank, in favour of "The State Trading Corporation of India Ltd." and payable at DELHI/ NEW DELHI

I/We agree to hold the offer valid for Ninety (90) days from the date of opening of the tender and shall be bound by communication of the acceptance within this time. I/We further undertake that this offer shall not be modified, amended, altered, retracted or withdrawn by me/us till the aforesaid period of Ninety (90) days. In case, I/We do so or fail on receipt of advice of acceptance of my/our tender to furnish the security deposit, to execute the contract/ agreement and/or commence the contract within the specified dates, I/We understand and agree that the earnest money shall stand absolutely forfeited to The State Trading Corporation

of India Ltd., New Delhi without any legal re-course to me/us.

The following papers/documents are attached and form part of the tender:-

- i) Copy of valid CHA License.
- ii) Details of work done giving name of organizations
- iii) Memorandum and articles of Association.
- iv) Income Tax Clearance Certificate (Latest)
- v) Certificate from Banker's regarding financial status.
- vi) PAN No.
- vii) GST. No.

Yours faithfully,

Signature of the Tenderer
Designation.....
(State the capacity in which the signatory is
signing)

Date

Witnesses

1.....

2.....

GENERAL INSTRUCTIONS TO THE TENDERER FOR FILLING UP OF THE TENDER

1. Tenderers are required to complete and sign the enclosed form of tender and furnish full, precise and accurate details in respect of information called for in this invitation to tender and in the annexures attached hereto. In the event of the space provided being insufficient additional pages may be added and each such page should be signed by tenderer in token of its authenticity. All these documents duly filled in and completed in all respects must be submitted in the physical format in two bids as specified in the subsequent paragraphs without which tenders will not be considered as valid.
2. Tenderers should fill in their form clearly for executing the different items as given in the annexure attached hereto after carefully considering the operations, services and responsibilities involved for the different items as specified in the tender documents. The rates for each item of work/service as described in the attached schedule should be quoted in figures as well as in words against each item the words 'Rs' should always be put before the words and 'only' at the end of the words of figures. Erasers and/or overwriting or alterations of any kind in the tender is liable to render the tender to outright rejection. In case of corrections the original figures and words should be scored out and the correct figures and words clearly written above the scoring and each such correction should be attested by tenderer. Where the rates given in figures differ from the corresponding rates expressed in words the latter shall be taken as applicable.
3. TENDER FEE: Tenderers shall deposit an amount of Rs.6,000/- (Rupees Six Thousand only, inclusive of GST) as non-refundable Tender fee by demand draft/RTGS/NEFT drawn in favour of The State Trading Corporation of India Ltd. payable at New Delhi. Tenderers should note that tender submitted without the tender fee is liable to be rejected.
4. SIGNING OF TENDER: When the tender submitted is not in the name of an individual, the tenderer shall disclose the names, constitution and registration of the tendering firm and shall be signed by all persons concerned or by a person duly authorized by means of legally valid document which either in original or a duly certified copy thereof shall be attached with the tender. For illustration, in the event of a tender being submitted by a partnership firm, it must be signed separately by each member thereof and in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power of Attorney authorizing him to do so, such power of attorney is to be provided with the tender and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act.

5. EVALUATION OF QUOTATION

The following conditions shall be considered in the evaluation of quotations:-

- Prices quoted
- Experience for the same or similar work for the intended services
- Bidder's financial stability (Bidder must submit document giving turnover)
- Acceptance to terms of Tender.

STC reserves the right to review and verify all statements and to inspect tenderer's facilities for the purpose of allowing the tenderer to establish to STC's satisfaction, his capability to perform the work.

6. PERIOD FOR WHICH THE OFFER WILL REMAIN OPEN: Tender and rates quoted therein should hold good for Ninety (90) days from the date of opening of the tenders. After the expiry of the said period of Ninety (90) days the rates are to be confirmed by both parties before executing the contract. No tenderer can withdraw his tender or revoke or alter the same or revise the rates quoted therein during the period of Ninety (90) days. If a tenderer withdraws revokes or alters the tender or revise the tendered rate within the aforesaid period of Ninety (90) days, the earnest money will be forfeited.

7. EARNEST MONEY DEPOSIT: Tenderers shall deposit an amount of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as earnest money by demand draft/RTGS/NEFT drawn in favour of The State Trading Corporation of India Ltd. payable at New Delhi. MSE exemption in respect of EMD is applicable for MSEs producing valid MSE certificate. Tenderers should note that tender submitted without the earnest money is liable to be rejected. Earnest Money will be forfeited in case the tenderer withdraws/revised his tender during the validity period of the tender. Earnest Money Deposit will not carry any interest. Bank details of STC are as under:-

IndusInd Bank, Barakhamba Road, New Delhi

Account No.: 200000550077

IFSC Code: INDB00000005

Account Type: Current Account

8. The tender documents – both technical and price bids are to be placed in a sealed envelope along with a covering letter duly superscribing the Tender No., Item & Name of Item addressed to The Deputy General Manager (Marketing), General Imports Division, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001, India and dropped in the Tender Box placed conspicuously on the Ground Floor of STC of India Limited, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi -110001.

9. ACCEPTANCE OF TENDER: The State Trading Corporation of India Ltd. does not bind itself to accept the lowest or any bid and reserves the right to accept any bid in whole or part and to reject any or all the bids without assigning any reason thereof.

10. EXPERIENCE:

Tenderers who offer for Customs House Clearing Agent work should have the following documentary evidence which should be submitted along with the tender documents:-

- a) A current qualified Customs House Agent license for handling Import and Export Cargoes. The successful tenderer shall be required to perform all the duties, which CHA are bound to do under the Indian Customs Act, 1967 as amended from time to time.
- b) Minimum three (3) years experience in Clearing of Cargoes at Indian Ports.
- c) Documentary evidence either credentials or certificates of previous experience in this line. Such certificates and credentials etc. should be provided along with the tender giving volume and value of work previously executed.

11. PARTICULARS RELATING TO TENDERERS:

All tenderers are also required to attach the following additional information/documents along with tenders :-

- (1) Name of the firm
- (2) Telephone no.
- (3) E-mail address
- (4) Fax no
- (5) Address and phone no / fax no
- (6) Whether proprietary concern / partnership firm / limited firm
- (7) Name of the proprietor / managing director / partners & other associates.
- (8) Name, address and phone no. of the authorized persons responsible, representatives who should be able to hold discussions and take decision regarding contract etc. supported by specific resolution.
- (9) Income tax returns for the last two years must be attached.
- (10) Name of bankers with certificates in respect of financial standing of the firm/company
- (11) Year of establishment of the firm as clearing and forwarding agent.
- (12) A current valid customs house agents' license for handling import and export consignments.

The successful tenderer shall be required to perform all the duties which clearing agents are bound to do under the Indian Customs Act, 1962 as amended from time to time.

- (13) Date from which the firm (bidder) has started clearing and forwarding agency business.
- (14) Annual turnover of business in respect of clearance work done by the tenderer.
- (15) Name of govt. organizations/ undertaking/ projects which are being served by the bidder at present with dates from which such clearing services are being

rendered.

- (16) Previous experience in clearance, handling and details of such jobs done.
- (17) Number of officers and staff having custom house license engaged by bidder for clearance work.
- (18) Pan no. & GST no.
- (19) Please confirm that no other firm/ subsidiary concern/ associate belonging to the same group is participating / submitting this tender.
- (20) An affidavit duly notarized by the company stating that it has not been blacklisted by any central, union territory and state govt./ organization or any Govt. procurement agency as well as convicted by any court of law and the period of blacklisting is not enforced till the date of validity of this offer being submitted.

संलग्नक - III

निविदा भरने के लिए निविदाकर्ताओं को सामान्य हिदायतें

1. निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे निविदा के संलग्न फार्म को पूरा भरें और उस पर हस्ताक्षर करें तथा इस निविदा के आमंत्रण में और इसके संलग्न अनुलग्नकों में मांगी गयी सूचना के बारे में पूर्ण, विस्तृत और सही ब्यौरा दें। प्रदान किए गए स्थान के अपर्याप्त रहने पर अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें जाएँ और इसकी प्रामाणिकता के प्रतीक के रूप में निविदाकर्ता द्वारा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएँ। ये सभी कागजात विधिवत भरे हुए और सब प्रकार से पूर्ण करके भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जाएँ, जैसा कि बाद के पैरा में दर्शाया गया है जिसके बिना निविदाएँ वैध नहीं मानी जाएंगी।
2. निविदाकर्ता विभिन्न मदों हेतु कार्यों / सेवाओं और दायित्वों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद संलग्न सूची में दिए गए के अनुसार विभिन्न मदों को निष्पादित करने के लिए स्पष्ट रूप से अपने फार्म भरें जैसा कि निविदा कागजातों में निर्दिष्ट है। प्रत्येक कार्य की मद / सेवा हेतु दरें जैसा कि संलग्न सूची में बताया गया है, शब्दों और अंकों में प्रत्येक मद के सामने उद्धरित की जाएँ तथा “ रूपए ”शब्द हमेशा ही शब्दों से पहले लिखा जाए तथा “केवल” अंकों के बाद में। इस निविदा में किसी भी प्रकार से शब्दों को मिटाना और / या ओवरराइटिंग या परिवर्तन से यह तत्काल रद्द कर दी जाएगी। शुद्धियों के मामले में मूल अंक और शब्द ठीक किए जाएँ और सही आंकड़ें और शब्द स्पष्ट रूप से स्कोरिंग के ऊपर लिखे जाएँ और ऐसी प्रत्येक शुद्धि निविदाकर्ता द्वारा सत्यापित की जाए। जहाँ अंकों में दी गयी दरें शब्दों में व्यक्त की गयी प्रचलित दरों से भिन्न हों तो बाद वाली लागू मानी जाएगी।

3. निविदा शुल्क : निविदाकर्ता, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय `6000/- (रुपए छह हजार केवल जीएसटी जोड़ कर) की राशि अप्रतिदेय निविदा शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस द्वारा जमा करेंगे । निविदाकर्ता यह नोट कर लें कि निविदा शुल्क के बिना जमा की गयी निविदा रद्द कर दी जाएगी ।
4. निविदा पर हस्ताक्षर करना : जब प्रस्तुत की गयी निविदा किसी एक व्यक्ति के नाम में न हो, निविदाकर्ता, निविदा फर्म के नाम, गठन और पंजीकरण के विषय में बताएगा और कानूनी रूप से वैध कागजात के माध्यम द्वारा विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति द्वारा या सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसकी मूल प्रति या विधिवत सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जाएगी । उद्धरण के लिए, किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा के मामले में, इस पर उसके प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग से हस्ताक्षर किए जाएँ और किसी साझेदार की अनुपस्थिति में, इस पर ऐसा करने के लिए मुख्तियारनामा का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएँ, ऐसा मुख्तियारनामा निविदा के साथ समर्पित किया जाए और यह स्पष्ट करे कि वह फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है ।
5. कोटेशन का मूल्यांकन
कोटेशन के मूल्यांकन में निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा :-
 - क) उद्धरित मूल्य
 - ख) उसका अनुभव या मांगी गयी सेवाओं के लिए वैसे ही कार्य का अनुभव
 - ग) निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिरता (निविदाकर्ता कारोबार के बारे में बताते हुए कागजात जमा करे।)
 - घ) निविदा की शर्तों की स्वीकृति ।

एसटीसी सभी विवरणिकाओं की समीक्षा करने और सत्यापन करने एवं निविदाकर्ता की एसटीसी के संतोष पर कार्य के निष्पादन की क्षमता दर्शाने हेतु निविदाकर्ता की सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

6. अवधि जिसके लिए ऑफर खुला रहेगा :- निविदा और उसमें उद्धरित दरें निविदाओं के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध रहेंगी । उक्त 90 दिनों की अवधि के समापन के बाद दरों की संविदा के निष्पादन से पहले दोनों पार्टियों द्वारा दरों की पुष्टि की जाएगी । कोई भी निविदाकर्ता 90 दिनों की अवधि के दौरान निविदा को न तो वापिस ले सकता है न भंग कर सकता है या न ही परिवर्तन कर सकता है या उद्धरित दरों में संशोधन कर सकता है । यदि कोई निविदाकर्ता 90 दिनों की अवधि के अंदर निविदा को वापिस लेता है उसे भंग करता है या उसमें परिवर्तन करता है या निविदाकृत दर में संशोधन करता है तो धरोहर राशि जब्त हो जाएगी ।

7. धरोहर राशि जमा : - निविदाकर्ता, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय `10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा करेगा । धरोहर राशि की छूट वैध एमएसई प्रमाणपत्र जमा करने पर मिलेगी । निविदाकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना धरोहर राशि के जमा की गयी निविदा रद्द कर दी जाएगी । निविदा की वैधता अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने/संशोधित करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी । धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

IndusInd Bank, Barakhamba Road, New Delhi

Account No.: 200000550077

IFSC Code: INDB0000005

Account Type: Current Account

8. निविदा दस्तावेज - तकनीकी एवं मूल्य बोली को लिफाफे में कवरिंग पत्र सहित जिस पर निविदा संख्या, मद एवं मद का नाम लिखा हो, उप महाप्रबंधक (विपणन), सामान्य आयात प्रभाग, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत को संबोधित करते हुए दि एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 के भूतल पर रखे निविदा बॉक्स में डालें ।
9. निविदा की स्वीकृति :- दि एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड न्यूनतम बोली या किसी भी बोली को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।
10. अनुभव:- निविदाकर्ता जो कस्टम्स हाउस क्लियरिंग एजेंट कार्य हेतु प्रस्ताव करते हैं उनके पास निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए जो निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाएँ :-
- क) आयात और निर्यात कार्गो हैंडल करने के लिए चालू वैध कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंस । सफल निविदाकर्ता को सभी कर्तव्य, जो समय-समय पर संशोधित भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1967 के तहत करने के लिए सीएचए बाध्य है, करने होंगे।
- ख) भारतीय पत्तनों पर कार्गो की निकासी का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव ।
- ग) इस क्षेत्र में पिछले अनुभव का दस्तावेजी साक्ष्य का प्रत्यपत्र या उसका प्रमाणपत्र। ऐसे प्रमाणपत्र और प्रत्यपत्र, पूर्व में निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा एवं मूल्य को साथ दर्शाते हुए निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाएँ।

11. निविदाकर्ताओं से संबंधित विवरण

सभी निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे निविदाओं के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना / कागजात संलग्न करें :-

- (1) फर्म का नाम
- (2) टेलीफोन नंबर
- (3) ई-मेल पता
- (4) फैक्स नंबर
- (5) पता और फोन नंबर/फैक्स नंबर
- (6) क्या प्रोपराइटरी / साझेदारी फर्म / लिमिटेड फर्म है ?
- (7) प्रोपराइटर / प्रबंध निदेशक / साझेदार एवं अन्य सहयोगियों का नाम
- (8) प्राधिकृत जिम्मेदार व्यक्तियों, प्रतिनिधियों का नाम, पता और फोन नं. जो विशिष्ट संकल्प द्वारा समर्थित संविदा आदि के बारे में चर्चा करने और निर्णय लेने के योग्य हो ।
- (9) पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करें ।
- (10) बैंकर का नाम, फर्म / कम्पनी के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में प्रमाणपत्र सहित ।
- (11) फर्म की क्लियरिंग और अग्रेशन एजेंट के रूप में स्थापना का वर्ष।
- (12) आयात और निर्यात परेषणों को हैंडल करने के लिए वर्तमान में योग्य कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंस ।
सफल निविदाकर्ता को वह सभी कर्तव्यों को निष्पादित करने होंगे जो समय समय पर संशोधित भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत करने के लिए क्लियरिंग एजेंट बाध्य है।
- (13) तारीख जब से फर्म (निविदाकर्ता ने क्लियरिंग और अग्रेशन एजेंसी का व्यवसाय आरंभ किया है ।
- (14) निविदाकर्ता द्वारा की गयी निकासि(क्लियरिंग) के संबंध में किए गए व्यवसाय का वार्षिक कारोबार ।
- (15) उन सरकारी संगठनों / उपक्रम / परियोजनाओं के नाम जिनकी निविदाकर्ता द्वारा वर्तमान में उन तारीखों से सेवा की जा रही है, तिथि सहित जब से ऐसी क्लियरिंग सेवाएँ दी जा रही हैं ।
- (16) क्लियरिंग, हैंडलिंग का पिछला अनुभव और ऐसे किए गए कार्य का ब्यौरा।

- (17) निविदाकर्ता द्वारा क्लीरेंस कार्य हेतु कार्यरत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या जिनके पास कस्टम हाउस लाइसेंस है ।
- (18) पैन नंबर, एवं जीएसटी संख्या ।
- (19) कृपया पुष्टि करें कि उसी समूह से संबंधित कोई अन्य फर्म, अनुषंगी संस्था/ सहयोगी इस निविदा में भागीदारी / निविदा प्रस्तुत कर रहा है।
- (20) एक कंपनी द्वारा विधिवत नोटरीकृत किया गया एक शपथपत्र जिसमें यह बताया गया हो कि उसे किसी केन्द्रीय, संघीय शासित प्रदेश और राज्य सरकार / संगठन या किसी सरकारी प्रापण एजेंसी द्वारा कालीसूची(ब्लेकलिस्ट) में नहीं डाला गया है तथा साथ ही किसी कानूनी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है तथा कालीसूची(ब्लेकलिस्ट) में डालने की अवधि इस ऑफर के प्रस्तुत करने की वैधता की तारीख तक लागू नहीं हुई है।

TERMS & CONDITIONS OF THE CONTRACT

1 TERMINOLOGY

- a) STC wherever used in these documents shall mean The State Trading Corporation of India Ltd. (which expression shall unless it be repugnant to the context be deemed to mean and include its legal representatives, agents, executors, successors and assigns wherever the context or meaning shall so require or permit) a Company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at New Delhi and includes all authorized officers of STC authorized to deal with any matter with which these persons are concerned on its behalf.
- b) The 'AUTHORISED OFFICER' wherever used in these documents shall mean the officer of The State Trading Corporation of India Ltd. in administrative and executive charge of the work and operations covered by the tender documents and shall include officers authorized to act for and on his behalf.
- c) The 'Customs House Clearing & Forwarding Agents' wherever used in these documents shall mean the person, firm or company who enters into a contract with The State Trading Corporation of India Ltd. undertaking on its behalf for the operations involved in clearing and handling of consignments at the Indian ports and shall include their executors, administrators, successors and permitted assignees.

2. PERIOD OF CONTRACT

The contract will remain in force for two (2) years from the date of commencement unless otherwise specified or terminated earlier as provided hereunder. The contract is extendable further for a further period of one year on the same rates and Terms/conditions at the sole discretion of STC.

3. COMMENCEMENT OF CONTRACT

The CHA's responsibility under the contract shall commence from the date of issue of the work order/letter accepting the tender. The tender documents, Annexure, thereto and the letter of acceptance shall constitute the contract.

4. VOLUME OF WORK

No guarantee can be given to any definite volume of work, which will be entrusted to the CHA at any time or throughout the period of the Contract. Consignments likely to be cleared consist of Machineries, equipments, spares parts/components/consumables being imported on behalf of various state government departments and other customers of STC both under OGL and under various import licenses. The Clearing Agent has to meet all the required formalities in

this regard.

5. SCOPE OF WORK

The successful tenderers would be required to give comprehensive efficient services to complete all formalities of i) Custom Clearance of consignments arriving by Air at any Indian Airport (ii) Consignments arriving at any Indian Sea ports, and Inland Cargo Depots (ICD).

6. CLEARANCE OF CONSIGNMENTS OF STC FROM PORT/AIRPORT AUTHORITIES AND CUSTOMS AT INDIAN PORTS/AIRPORTS.

The CHA is required to perform all duties, which the CHA are supposed to perform as per provisions of the Indian Customs Act, 1962.

As soon as STC handovers the documents to CHA they will be required to file the Bill of Entry with Custom Authorities immediately.

In case STC's consignments land at any Indian Airport without consolidation on direct flight of any airline, you will take delivery orders etc., from the carrier on receipt of authority letter and freight cheque/BRO from STC.

You shall obtain stamped receipt of payments. The authorized officer of STC may direct you to pay freight charges etc., on this account. The actual charges paid shall be reimbursed to you on production of original receipts vouchers.

Every effort has to be made to get the material cleared from custom authority within the time mentioned in tender. In case of delay in clearance, penalty would be levied as per Attachment IV clause No. (7). In case extension in validity of delivery order is required, cheques for necessary charges for such extensions would be given by STC in the name of concerned authorities such as Air India etc. and the agent would be required to get the DO etc. revalidated from concerned offices.

The agent would be required to complete all formalities of various authorities at Indian Ports/Airports/ICD and of shipping company etc., for clearance of material from Customs and taking permission for de-stuffing at Site etc.

The Agents shall also be required to render the following services as and when necessary and as directed by the authorized officer of The State Trading Corporation of India Ltd. for clearance of the cargoes from IAAI/other port authorities and Customs at Indian Airports/Ports and ICD's.

i) DOCUMENTS/INFORMATION/CLARIFICATIONS FROM STC:

The CHA will collect from STC one set comprising of invoice/BL/AWB/HSS agreement & other declarations, etc., and will ensure that the documents/information are complete in all respects for clearance of goods from customs so that there is no delay on account of non-availability of documents/information from STC in time. Any deficiency in the documents found by CHA should be intimated to STC immediately on receipt of documents. The agent will be required to see that description/other information of goods is clear for the purpose of custom clearance and in case any further clarification/document etc., required from STC for availing any benefit of customs notification for concessional rate of custom duty for clearance of goods in working days, they will be required to inform the same to STC immediately so that the required documents/information can be given by STC.

ii) PREPARATION AND NOTING OF BILL OF ENTRY

The CHA on receiving the documents mentioned above shall prepare custom documents viz, B/E etc., and present it to the customs. The CHA will ascertain the correctness of the declaration of quantity of goods, description of goods, value of goods in the B/E prior to submission to the customs. The CHA will have to ensure that all conversions from foreign currency to Indian currency have been done properly and there is no conversion/calculation or totaling mistake in the figures arrived at and furnished in the B/E. It will be ensured that the duty is paid at the correct rate applicable to the goods. The CHA will be held responsible for any delay that may be caused in the release of the consignment out of custom charge within 3 working days after receipt of document from STC on account of amendments that are required to be carried out in the B/E or any errors committed in the preparation of B/E.

iii) APPRAISEMENT OF B/E AND EXAMINATION OF GOODS

The CHA will ensure that all appraisal formalities are completed expeditiously and whenever the customs-appraising officers require any explanation/clarification, STC is given necessary and timely intimation to send their representative to give the required clarification to the customs. The CHA will have to ensure that proper follow up action is taken in the appraising section once the B/E has been submitted to the appraising stage. All the required steps for 1st and 2nd check examination will have to be taken by the CHA whenever the appraising officers have ordered the same. They will have to see that the packages are properly repacked and no contents are left out after examination and the packs are properly sealed. Whenever any shortages are found during the examination, the CHA will obtain the required certificate from the Examination Officer and submit the same to STC. They will also be required to complete the license audit formalities and payment of customs duty and see that the B/E is out of the customs charges.

iv) DAMAGE/LOSS OF PACKAGES

The CHA shall take all steps to prevent loss and damage to the goods received by them on behalf of the STC for handling during the period the goods are in their charge or while the goods remain in the custody of the Port Authorities.

It is incumbent of them to promptly examine carefully all packages, landed from the aircrafts/other carriers. The CHA will have to make good to STC on demand any loss due to the negligence or failure on their part to take proper and prompt action or to exercise proper vigilance and economy or to comply with the provision of the relevant Rules & Regulations applicable in clearance, landing dispatch of goods, lodging and settlement of claims failing which the amount of loss will be appropriated from the CHA deposit or bill amount due to the agent under this clearance contract. This is apart from the other remedies open to STC under the provisions of law in force and joint survey/inspection by Custom and Port Authorities.

v) REPAIR OF PACKAGES

All the damaged packages will have to be repaired by the CHA at their own cost as and when damages are noticed by them or when pointed out by STC representative, prior to dispatch.

vi) SHORT LANDING OR LANDED BUT MISSING OF PACKAGE

Whenever any packages are short landed or landed but missing the CHA will arrange to obtain the required short landing certificate / landed but missing certificate from the Airport authorities well within the prescribed time limits stipulated by the carriers, underwriters and customs/governing the rules for settlement of claim with carriers, insurance, port authorities and customs. The CHA will exercise due care to ensure that certificates are complete and correct in all respects so that they cannot be disputed by the parties concerned at a later stage on one pretext or the other.

vii) CUSTOM DUTY PAYMENT

To be arranged by STC through Bank as per latest procedure. This is however, subject to change from time to time as per customs rules.

viii) Airport/ Port Charges i.e. demurrage, wharfage, Port Charges and Handling Charges etc., will be paid by the CHA and actual admissible charges will be claimed by the agent from STC on production of documentary evidence.

ix) CERTIFIED COPIES OF B/E:

STC reserves the right to obtain the duplicate and certified copies of B/E and

debit/recover the expenses incurred for the same from the CHA in case Bills of Entry are not submitted by the CHA to STC within 20 days from the date of payment of clearance of consignment.

x) DEMURRAGE/WAREHOUSE CHARGES AND HANDLING CHARGES

It shall be the responsibility of CHA to complete all formalities of customs within 3 working days after receiving document from STC. If the consignment is not cleared within this period resulting in payment of demurrage or other charges and which in the opinion of the authorized officer, has been incurred due to the negligence or lapses on the part of CHA. The CHA shall be held responsible for the same and this amount will be recovered from the Agent. In each case the Agent will explain the reasons for which the incurrence of such charges was unavoidable and ensure that STC is satisfied that the CHA cannot be held responsible for the same. The decision of the authorized officer in the matter will be final and legally binding in all cases.

7. In the event of any delay caused in the release of the consignments out of custom resulting in levy of demurrage/warehouse charges, penalty would be levied for the delay over and above 5 working days. The days will be counted from the date of collection of documents by CHA from STC.

The rates of penalty will be as follow:

- a) Delay of one week after 5 working days :15% of agency charges
- b) Delay of next four days block :20% of agency charges
- c) Delay of further next four days block :25% of agency charges
- d) Any further delay :30% of agency charges

This is however subject to payment of customs duty by STC in 48 hours after getting intimation from the agent.

8. The CHA will submit a statement with their bill for each consignment for which demurrage/warehouse charges has been paid giving detailed convincing reasons so as to why the consignment could not be cleared in the free time.
9. Airport/ Port Charges i.e. demurrage, wharf age, Port charges and handling charges etc. will be paid by you and actual charges will be claimed by you from STC on production of documentary evidence.
10. DAMAGES TO PROPERTY AND INSTALLATIONS OF CUSTOMS / STC /OTHER PARTIES:

The CHA shall make good at their own cost any damage to the property to STC or to any other body/persons, local authorities etc., due to or arising from the operations involved under this contract.

11. HOLDING OF CARGO IN TRUST

The CHA shall hold all materials/cargo, which come in their possession during the course of this agreement or afterwards or at any time belonging to STC as trustees and shall deliver/handover all or any such material cargo on demand immediately to STC.

12. LIEN OF STC'S CARGO

The CHA shall have no lien of any nature whatsoever upon any cargo belonging to STC or cleared by them on behalf of STC and kept in their possession in absence of any instructions or for any reasons whatsoever.

13. EXECUTION OF BONDS/INDEMNITY

Whenever any bond/indemnity is to be executed during the process of clearance, the CHA will obtain the bond paper of the required value, get the text of the bond typed, arrange to obtain the signature of the authorized officers of STC and submit the same to customs/carriers without losing any time in the process. The cost of the bond paper will be reimbursed to them when claimed from STC at actual basis.

14. REIMBURSEMENT OF MISCELLANEOUS PAYMENTS:

The CHA in the discharge of their contractual obligations may be required to arrange for the following work and pay for it themselves in the first instance. For this work they will not be allowed any agency fees. Only actual charges due as admissible and paid by them to the authorities concerned on behalf of STC will be reimbursed to them when claimed duly supported by the vouchers in original issued by concerned authorities:-

- a) Octroi charges
- b) Survey fees
- c) Air Freight
- d) Railway Freight
- e) Crane Hire charges
- f) Protease and removal fees
- g) Opening, re-packing and strapping charges for custom examination.
- h) Storage charges

15. FAX RELEASE ADVICES ON THEIR CUSTOMS HOUSE:

Whenever any release advices are required on any other customs house in India, the CHA will have to arrange for the same for which no extra remuneration will be paid to the CHA. However, the actual amount incurred on account of customs and Fax charges will be reimbursed to them on submission of relevant documents

and vouchers. In case the CHA is not able to obtain the TRA within reasonable time and STC has to pay demurrage due to late availability of TRA, proportionate amount of demurrage for delay due to this reason, will be recovered from them.

16. REMUNERATION FEE AND MODE OF PAYMENT

Agency charges for all operations at all Indian Airports/Ports including Inland container depots after Custom clearance, are to be quoted as per 'A' of schedule of Rates (Annexure 'A').

17. RESPONSIBILITY REGARDING CORRECTNESS OF CUSTOM DUTY:

The CHA will be responsible for correctness of custom duty paid on each consignment. A certificate to this effect would be recorded by the agent on their bills for clearance and transportation charges stating, "Certified that correct custom duty has been got assessed on various consignments covered in this bill and we would be liable for recovery from us for excess custom duty, if any, In case of our failure to arrange refunds of such excess payment within a period of 6 months from the date of filing of claim, unless this time limit of 6 months is extended by STC in writing". The agent cannot claim this extension as a matter of right and it will be the sole discretion of STC's authorized officer to give such extension or refuse it. STC's decision in this matter will be final and binding on the Agent. For arranging such refunds where excess custom duty has been paid by the Agent, no service charge (as per 'C' of schedule of rates on Annexure 'B' will be paid for filling, follow-up and getting the cheques for refund of custom duties. In case the contract/work order gets expired and refund cases are not settled within the stipulated time (i.e. 6 months from date of filing of claim), the Security Deposit will be released only after settlement of all such refund cases and other claims and on satisfactory performance of the contract.

18. NAME OF PERSONS HANDLING THIS CONTRACT

On receipt of letter of intent from STC, the CHA will have to furnish to STC the list of their staff members who are going to look after STC's work at customs, airport, ICD, transporter, railway and in the office of the CHA at managerial and supervisory levels for proper co-ordination and smooth working.

19. PARALLEL CONTRACT

STC reserves the right of placing the contract for all operations or part of the operations described in the attached Annexure/Schedule simultaneously at the beginning or at any time during the tenure of the contract with more than one CHA as it may think fit.

20. ASSIGNMENT OF CONTRACT

The CHA shall not, without the consent in writing of the authorized officer of STC assign or sublet the contract or any part thereof. Even when permission to sublet the contract or part thereof has been granted, STC shall have no contractual obligation with the sub-lessee and shall always hold the CHA responsible for satisfactory completion of the contract.

21. ALTERNATIVE HANDLING OF WORK.

- a) If the CHA fails to render at any time, all or any type of the services under the CONTRACT satisfactorily in the opinion of the authorized officer of STC (whose decision shall be final and binding on the CHA), he may at his option get the work done by other parties and/or departmentally at the Consolidation-cum-Clearing Agent's risk and cost.
- b) STC reserves the right to appoint any other CHA for services referred to the CONTRACT to meet any emergency or to get work done departmentally, if the authorized officer (whose decision shall be final) deems it fit in the sole interest of STC.

22. TERMINATION OF CONTRACT:

STC reserves the right to terminate the contract at any time and without assigning any reason thereof by giving one month notice of their intention to do so in writing in the CHA and the CHA shall not be entitled to any compensation by reason of such termination.

23. COLLECTION OF DOCUMENTS

The CHA will send to the concerned officers of STC or their representatives as may be specified by the authorized officer of STC to receive instructions and collect documents furnishing acknowledgement thereof and it shall be clearly understood that the instructions given or delivered to the CHA office

24. SAFE CUSTODY OF DOCUMENTS:

The CHA will be required to keep in safe custody all documents sent to them and in the event of any loss of such documents they will be held responsible for all the costs and consequences.

25. SUBMISSION OF BILLS

- i) The bills for the work done shall be submitted by the CHA strictly as per schedule of

rates to the authorized officer of STC. The CHA shall submit bills in quadruplicate. The bills not supported by the relevant vouchers/receipts in original will be returned to the CHA. Payments will be released within 30 days of submission of bills duly supported by the relevant documents in originals.

- ii) The CHA will submit a statement with his bills for each consignment for which demurrage has been paid giving detailed reasons as to why consignment could not be cleared in time (as per Annexure 'B').

26. CENTRAL AND STATE LAWS:

The CHA shall be responsible for strictly complying with all Central and State laws as well as rules, regulations, by laws and orders of the local authorities and statutory bodies as may be in force from time to time.

27. SET OFF CLAUSE

Any sum of money due and payable to the CHA (including Security Deposit) under this contract may be appropriated by STC and set off against any claim of STC for the payment arising out of the contract or under any other contract entered into by the CHA with STC.

28. CONTRACTOR'S CLAIMS ON STC:

Any claim arising out of this contract is required to be submitted to STC within a period of 90 (Ninety) days from the date of clearance and dispatch of the entire consignments. STC will not entertain any claim on any account from the CHA after expiry of the aforesaid period of 90 (Ninety) days except under special circumstances which STC may/may not accept under its sole discretion.

29. MISAPPROPRIATION OF MONEY:

STC reserves the right to take penal action against the CHA in case of misappropriation of any money held by them in TRUST on behalf of STC.

30. INSPECTION AND RETENTION OF FILES

- i. STC reserves the right to inspect all shipment clearance files maintained by CHA at any time during the contract period.
- ii. After expiry of the CONTRACT the CHA is required to handover all the claim files maintained by them within a period of three months and obtain a clean receipt on the basis of which their account will be settled.

31. INCOMPLETE BILLS OF ENTRY

CHA is required to submit a certificate detailing the particulars of all bills of entry which they have surrendered to Customs Authorities during the contract period. The CHA is also further required to handover to STC a list of all incomplete bills of entry giving details of packages cleared and packages outstanding against bills of entry pending finalization by customs with fifteen days from the date of expiry of the contract.

32. SECURITY DEPOSIT

Earnest money deposit of successful tenderer will be converted into part of security deposit and in addition a deposit of Rs.40,000/- (Rupees Forty Thousand Only) will have to be made by way of Bank draft/RTGS/NEFT, thus making a total of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) as Security deposit. For MSEs who have availed MSE exemption and have not deposited Rs. 10,000/- towards EMD need to deposit Rs. 50,000/- as Security deposit if the contract for empanelment of CHA is signed with them. The Security Deposit shall be forfeited or appropriated by the authorized officer of the The State Trading Corporation of India Ltd. in his absolute discretion towards any loss that may be sustained by the STC as a result of breach of any terms and conditions of the contract by the CHA or on account of unsatisfactory performance of the agent notwithstanding other remedies open to the STC under the terms of the contract or law.

In the event of the CHA Security Deposit being appropriated towards loss/unsatisfactory performance the CHA shall recoup the amount to restore the Security Deposit to the full amount of Rs.50,000/- within a period of fifteen days from the date of intimation.

Subject to the provisions mentioned above, the Security Deposit will be returned to the CHA on due and satisfactory performances of the Contract after all claims of STC have been settled. The Security Deposit will not carry any interest.

33. RECOVERY OF GOVERNMENT DUES

STC reserves the right to recover from the outstanding amounts due to CHA any government dues, which are, required to be remitted to Government under the statutory obligation.

34. REFUND ORDER

- a) If a refund order or cheque for any reason is issued by the Customs, Insurance Carriers, CHA should see that the same is surrendered immediately on receipt to the appropriate authority and a fresh refund order/cheque is obtained in favour of STC.

- b) The payments received by CHA from the Customs, Insurers, Carriers and/or any other authorities against claims lodged by them on behalf of STC or in connection with any other matter relating to the CONTRACT shall be held in trust by the clearing agents and the same shall be handed over to STC by crossed cheque promptly within 8 days from the date of receipt of the payments, without any deductions, whatsoever towards settlements of the CHA claims and bills irrespective of whether they are in dispute or otherwise, failing which the CHA will be liable for payment of interest @ 18% per annum on amount remaining in their possession.
Income Tax at source shall be deducted from the successful clearing agents bill as per the provisions of Income Tax Act, 1961.

35. The applicant/tenderers shall keep STC indemnified at all times against any claims/liabilities/ proceedings etc. from any third party or otherwise arising out/ or in connection with this tender.

36. The applicants/ tenderers hereto agree that the courts and tribunals at New Delhi shall have exclusive jurisdiction to settle any or all disputes which may arise out of or in connection with this tender. All disputes arising out of this tender shall be decided in accordance with the laws of India.

संविदा की निबंधन एवं शर्तें

1. पारिभाषिक शब्दावली

क.) एसटीसी जहाँ कहीं भी इन कागजातों में प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और जिसमें एसटीसी के सभी प्राधिकृत अधिकारी शामिल हैं जो इसके आधार पर जुड़े हुए इन लोगों से संबंधित किसी भी मामले को निपटाने के लिए प्राधिकृत हैं ।

ख.) “प्राधिकृत अधिकारी” जहाँ कहीं भी इन कागजातों में प्रयुक्त है उसका अर्थ है दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अधिकारी, निविदा कागजातों द्वारा कवर किए गए प्रशासनिक और कार्यकारी कार्य तथा प्रचालन के विशिष्ट प्रभार के बारे में वे अधिकारी शामिल होंगे जो उनके लिए और उनकी ओर से कार्य के लिए प्राधिकृत हैं ।

ग.) इन कागजातों में जहाँ कहीं भी दि “कस्टम्स हाउस क्लियरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट्स” प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ व्यक्ति, फर्म या कंपनी जो दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ संविदा करते हैं, भारतीय पत्तनों पर परेषणों के क्लियरिंग एंड हैंडलिंग में शामिल कार्यों के लिए इसकी ओर से वचन देता है तथा उसमें उनके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त परेषिती शामिल होंगे ।

2. संविदा की अवधि

संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष के लिए लागू रहेगी बशर्ते अन्यथा विनिर्दिष्ट हो या पूर्व में समाप्त की गयी हो जैसा कि इसके तहत प्रावधान है । यह संविदा एसटीसी के स्वविवेक पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हीं शर्तों / नियमों तथा दरों पर बढ़ाई जाने योग्य है ।

3. संविदा का प्रारंभ

संविदा का तहत सीएचए की जिम्मेदारी संविदा की स्वीकृति कार्य आदेश के जारी होने / निविदा स्वीकार करने के पत्र की तारीख से आरंभ होगी । निविदा कागजात, उसके अनुलग्नक और स्वीकृति पत्र संविदा का गठन करेंगे ।

4. कार्य की मात्रा

किसी निश्चित कार्य की मात्रा के लिए गारंटी नहीं दी जा सकती जो संविदा के समय या उसके दौरान सीएचए को सौंपा जाएगा। परेक्षणों जिसमें ओजीएल तथा विभिन्न आयात लाइसेंसों के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और एसटीसी के अन्य ग्राहकों दोनों की ओर से आयात किए गए संयंत्र, उपकरण, कलपुर्जे / संघटक / उपभोग्य वस्तुएँ शामिल हैं, के क्लियर होने की संभावना है। क्लीयरिंग एजेंट को इस संबंध में सभी अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।

5. कार्यक्षेत्र

सफल निविदाकर्ताओं से इनकी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत कुशल सेवाएँ देना अपेक्षित होगा।) किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर हवाई जहाज द्वारा पहुँचने वाले परेषणों एवं।) किसी भी भारतीय समुद्री पत्तनों और अंतरदेशीय कार्गो डिपो (आईसीडी) पर पहुँचने वाले परेषण का का कस्टम क्लियरेंस।

6. पत्तन / हवाई पत्तन प्राधिकरण और भारतीय पत्तन / हवाई पत्तनों पर कस्टम्स और एसटीसी के परेषणों की क्लीयरेंस

सीएचए उन सभी कर्तव्यों को निष्पादित करेगा जो भारतीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार सीएचए को निष्पादित करने आवश्यक हैं।

जैसे ही एसटीसी सीएचए को कागजात सौंपता है, उन्हें तुरंत सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ प्रविष्टि बिल(बिल ऑफ इंट्री) फाईल करना होगा।

एसटीसी के परेषण किसी एयरलाइन की सीधी उड़ान पर समेकन के बिना किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर उतरने के मामले में, आप एसटीसी से प्राधिकार पत्र और भाड़ा चेक/बीआरओ प्राप्त करने पर कैरियर से डिलीवरी आर्डर आदि लेंगे।

सीएचए भुगतानों की मुहर लगी रसीद लेंगे। एसटीसी का प्राधिकृत अधिकारी सीएचए को सीधे ही भाड़ा प्रभार आदि अदा करने के लिए निर्देश दे सकता है। भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों की मूल रसीद वाउचर प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

निविदा में उल्लेखित समय के अंदर सीमा शुल्क प्राधिकारी से माल की निकासी कराने के लिए हर प्रयत्न किया जाएगा। निकासी में देरी के मामले में, संलग्नक - IV खंड संख्या (7) के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। डिलीवरी आर्डर की वैधता को बढ़ाने के मामले में, ऐसे विस्तारों के लिए आवश्यक प्रभारों हेतु बैंक एसटीसी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों जैसे एयर इंडिया आदि के नाम से दिया जाएगा तथा एजेंट से डी.ओ आदि को संबंधित कार्यालयों से पुनः वैधकरण प्राप्त करना होगा।

एजेंट से भारतीय पत्तनों / हवाई अड्डों / आईसीडी और शिपिंग कंपनी के विभिन्न प्राधिकारियों से सीमाशुल्क से माल की क्लियरेंस हेतु सभी औपचारिकताएँ पूरा करने तथा साईट आदि पर खाली करने के लिए अनुमति लेनी होगी।

एजेंटों को जब और जहाँ आवश्यक हों तथा दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्गो के आईएएआई / अन्य पत्तन प्राधिकारियों और भारतीय हवाई अड्डों / पत्तनों तथा आईसीडी पर सीमा शुल्क और निकासी हेतु निम्नलिखित सेवाएँ भी देनी होंगी।

I) एसटीसी से कागजात / सूचना / स्पष्टीकरण :-

सीएचए, एसटीसी से एक सैट इकट्ठा करेगा जिसमें पर्चेस ऑर्डर, इन्वाइस, बिल ऑफ लेडिंग, एरवे बिल, हाइ सी सेल्स अग्रीमेंट, अन्या कागजात, आदि. सहित शामिल होंगे तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कागजात/सूचनाएँ सीमा शुल्क से माल की निकासी के लिए सभी प्रकार से पूर्ण हैं ताकि एसटीसी से समय पर कागजातों / सूचना के उपलब्ध न होने के कारण कोई विलम्ब न हो। सीएचए द्वारा कागजातों में पायी गयी कोई कमी एसटीसी को कागजातों की प्राप्ति के तत्काल बाद सूचित की जाएगी। एजेंट से अपेक्षा होगी कि वह देखे कि माल का विवरण / अन्य सूचना कस्टम क्लियरेंस के उद्देश्य हेतु स्पष्ट है और आगे, कार्यदिवसों में माल की निकासी हेतु सीमाशुल्क की छूट की दर हेतु सीमाशुल्क अधिसूचना का कोई लाभ लेने के लिए किसी स्पष्टीकरण/कागजातों की आवश्यकता होने पर उन्हें एसटीसी को तत्काल इसकी सूचना देनी होगी ताकि अपेक्षित कागजात/सूचना एसटीसी द्वारा दिए जा सकें।

II) प्रविष्टि बिल की तैयारी और नोटिंग :-

सीएचए ऊपर उल्लिखित कागजातों की प्राप्ति पर कस्टम कागजात यानी प्रविष्टि बिल(बिल ऑफ इंट्री) आदि तैयार करेगा और उसे कस्टम्स को प्रस्तुत करेगा। सीएचए कस्टम्स को प्रस्तुत करने से पहले प्रविष्टि बिल में माल की मात्रा, मात्रा का विवरण और माल के मूल्य की घोषणा की

शुद्धता का पता लगाएगा । सीएच को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में किए गए सभी परिवर्तन सही रूप में किए गए हैं और प्रविष्टि बिल में दिए गए और भरे हुए आंकड़ों में परिवर्तन/गणना या योग की गलती नहीं है । यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के लिए लागू सही दर पर शुल्क अदा किया गया है । सीएच ऐसे किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार होगा जो संशोधनों के कारण एसटीसी से कागजात की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर कस्टम प्रभार से परेषण जारी करने में हो सकती है जो प्रविष्टि बिल से या प्रविष्टि बिल की तैयारी में की गयी अन्य गलतियों से सामने आते हैं ।

111) प्रविष्टि बिल का मूल्यांकन और माल की जाँच :-

सीएच यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मूल्यांकन औपचारिकताएँ शीघ्रता से पूरी की गयी हैं और जब कभी कस्टम्स मूल्यांकन अधिकारी कोई व्याख्या / स्पष्टीकरण चाहें, एसटीसी को कस्टम्स को अपेक्षित स्पष्टीकरण देने में उनके प्रतिनिधि को समय पर आवश्यक सूचना भेजी गयी है।

सीएच को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रविष्टि बिल को मूल्यांकन की स्थिति तक प्रस्तुत करने में मूल्यांकन अनुभाग में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है । पहली और दूसरी जाँच हेतु सीएच द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं जब कभी मूल्यांकन अधिकारियों ने उन्हें वैसा करने का आदेश दिया है । उन्हें यह देखना होगा कि पैकेज दोबारा सही ढंग से पैक किए गए हैं और कोई भी वस्तु जाँच के लिए शेष नहीं है तथा पैक सही प्रकार से बंद किए गए हैं । जाँच के दौरान जब कभी कोई कमी पाई जाती है सीएच जाँच अधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसे एसटीसी को प्रस्तुत करेगा । उनसे यह भी अपेक्षा होगी कि वे लाइसेंस लेखापरीक्षा औपचारिकताएँ पूरा करें और सीमाशुल्क का भुगतान करें और देखें कि सीमा शुल्क प्रभार प्रविष्टि बिल से बाहर है ।

IV. पैकेज की क्षति / हानि :-

सीएच, एसटीसी की ओर से उनके द्वारा प्राप्त माल को हानि और क्षति से बचाने के सभी कदम उठाएगा जो उस अवधि के दौरान उनके चार्ज में माल की हैण्डलिंग या जब माल पत्तन प्राधिकारियों की अभिरक्षा में रहेगा, के कारण होगी ।

यह उनके लिए आवश्यक है कि वे एयरक्राफ्ट/अन्य कैरियरों से उतारे गए सभी पैकेजों की ध्यानपूर्वक शीघ्र जाँच करें । सीएच एसटीसी को माँग करने पर उनकी ओर से उचित और शीघ्र कार्रवाई न कर पाने या लापरवाही के कारण नुकसान की भरपाई करें अथवा उपयुक्त सतर्कता और किफायत बरतें या निकासी, माल के प्रेषित करने लाजिम और दावों के निपटान में लागू

संबद्ध नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन करे, ऐसा न करने पर नुकसान की राशि की सीएचए की जमा से या इस निकासी संविदा के तहत एजेंट के कारण बिल की राशि से भरपाई की जाएगी । यह लागू कानूनी प्रावधानों के तहत और कस्टम और पत्तन प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वे/निरीक्षण के तहत एसटीसी के लिए खुले अन्य उपायों से अलग है ।

V. पैकेजों की मरम्मत :-

सभी क्षतिग्रस्त पैकेजों की सीएचए द्वारा उनकी अपनी लागत पर मरम्मत की जाएगी । जब और जहाँ उनके द्वारा क्षतियाँ नोटिस की जाती हैं या जब प्रेषण से पहले एसटीसी के प्रतिनिधि द्वारा रेखांकित की जाती हैं ।

VI. शार्ट लैंडिंग या लैंड किया किन्तु गायब पैकेज :-

जब कभी कोई पैकेज शार्ट लैंड या लैंड किए हुए किन्तु गायब होते हैं, सीएचए हवाईपत्तन प्राधिकारियों से कैरियर, बीमा, पत्तन प्राधिकारियों और कस्टम्स के साथ दावों के निपटान हेतु कैरियरों, अंडर राइटरों और कस्टम्स / शासकीय नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित शार्टलैंडिंग सर्टिफिकेट / लैंडिड किन्तु मिसिंग सर्टिफिकेट की व्यवस्था करेगा । सीएचए यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखेगा कि ये प्रमाणपत्र पूरे हैं और सभी प्रकार से सही हैं ताकि वे संबंधित पार्टियों द्वारा बाद में या किसी अन्य संदर्भ में विवादित नहीं हो सकते ।

VII. कस्टम ड्यूटी भुगतान :-

एसटीसी द्वारा अध्यतन पद्धति के अनुसार बैंक के माध्यम से व्यवस्था की जाए । यह तथापि, समय-समय पर कस्टम्स नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होगा ।

VIII. हवाईपत्तन / पत्तन प्रभार यानी विलंब शुल्क, वारफेज, पत्तन प्रभार और हैंडलिंग प्रभार आदि सीएचए द्वारा भुगतान किए जाएँगे तथा वास्तविक ग्राह्य प्रभार का एसटीसी से एजेंट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दावा किया जाएगा ।

IX. प्रविष्टि बिल की सत्यापित प्रतियाँ :-

एसटीसी के पास प्रविष्टि बिल की डुप्लीकेट और सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार रहेगा और सीएचए से परेषण की क्लियरेंस के भुगतान की तारीख के 20 दिनों के अंदर एसटीसी को प्रस्तुत न किए गए प्रविष्टि बिलों के मामले में इससे हुए खर्च सीएचए से डेबिट / वसूल किए जाएँगे ।

X. विलम्ब शुल्क / मालगोदाम प्रभार और हैण्डलिंग प्रभार :-

एसटीसी से कागजात प्राप्त करने के बाद 3 कार्यदिवसों के अंदर कस्टम्स की सभी औपचारिकताएँ पूरा करना सीएचए की जिम्मेदारी होगी। यदि परेषण विलम्ब शुल्क या अन्य प्रभारों के भुगतान न होने के कारण इस अवधि के अंदर क्लियर नहीं होता है और जो प्राधिकृत अधिकारी की राय में सीएचए की ओर से लापरवाही या कमी के कारण हुआ है तो सीएचए इसके लिए जिम्मेदार होगा और यह राशि एजेंट से वसूल की जाएगी। प्रत्येक मामले में एजेंट कारण बताएगा जिसके लिए ऐसे प्रभारों का होना अपरिहार्य था और सुनिश्चित करेगा कि एसटीसी संतुष्ट है कि सीएचए को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और कानूनी रूप से सभी मामलों पर बाध्यकर होगा।

7. विलम्ब शुल्क / मालगोदाम प्रभारों की वसूली के कारण कस्टम के परेषणों के जारी होने में हुई देरी के मामले में इस देरी के लिए 5 कार्यदिवसों और उससे अधिक के लिए वसूल किया जाएगा। ये दिन सीएचए द्वारा एसटीसी से कागजातों को इकट्ठे करने की तारीख से गिने जाएंगे।

जुर्माने की दरें इस प्रकार होंगी :-

क) 5 कार्यदिवसों के बाद एक सप्ताह की देरी	:	एजेंसी प्रभारों का 15%
ख) अगले 4 दिनों के ब्लॉक के लिए देरी	:	एजेंसी प्रभारों का 20%
ग) आगे अगले 4 दिनों के ब्लॉक के लिए देरी	:	एजेंसी प्रभारों का 25%
घ) इसके बाद कोई देरी	:	एजेंसी प्रभारों का 30%

यह तथापि, एसटीसी द्वारा एजेंट से सूचना मिलने के 48 घंटे बाद कस्टम्स ड्यूटी के भुगतान के अधीन है।

8. सीएचए प्रत्येक परेषण के बिल के लिए एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके लिए पर्याप्त कारणों का ब्यौरा देते हुए विलम्ब शुल्क/माल गोदाम प्रभार का भुगतान किया गया है ताकि यह पता लगे कि परेषण फ्री टाइम में क्यों नहीं क्लियर किया जा सका।

9. हवाईपत्तन / पत्तन प्रभार यानी विलंब शुल्क, वारफेज, पत्तन प्रभार और हैंडलिंग प्रभार आदि सीएचए द्वारा भुगतान किए जाएंगे तथा वास्तविक ग्राह्य प्रभार का एसटीसी से एजेंट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दावा किया जाएगा।

10. सम्पत्ति की क्षति तथा कस्टम्स का / एसटीसी / अन्य पार्टियों का संस्थापन

सीएचए सम्पत्ति की क्षति के लिए एसटीसी को या किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों, स्थानीय प्राधिकारियों आदि को भुगतान करेगा जो इस संविदा के तहत शामिल कार्यों से हुई हो ।

11. ट्रस्ट में कार्गो की होल्डिंग

सीएचए सभी सामग्री / कार्गो को होल्ड करेगा जो इस करार की अवधि के दौरान या उसके बाद या एसटीसी से ट्रस्टी के रूप में संबंधित किसी भी समय उसके अधिग्रहण में होंगे और मांग होने पर ऐसे किसी या सभी सामग्री कार्गो को एसटीसी को तत्काल डिलीवर करेगा / सुपुर्द करेगा।

12. एसटीसी कार्गो का लियन

सीएचए का एसटीसी से संबंधित या एसटीसी की ओर से उन्हें क्लियर किए गए कार्गो जो भी हो पर और किसी हिदायत के न होने पर या किसी भी कारण से उन्हें अधिग्रहण में रखने पर कोई लियन नहीं होगा।

13. बांड / क्षतिपूर्ति का निष्पादन

जब कभी क्लियरेंस की प्रक्रिया के दौरान कोई बांड / क्षतिपूर्ति निष्पादित की जाती है, सीएचए अपेक्षित मूल्य का बांड पेपर प्राप्त करेगा, बांड के विषय को टाईप कराएगा, एसटीसी के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उसे इस कार्य में समय गंवाएँ बिना कस्टम्स / कैरियर्स को प्रस्तुत करेगा । बांड पेपर की लागत की उन्हें प्रतिपूर्ति की जाएगी जब वह एसटीसी से वास्तविक आधार पर दावा करेगा ।

14. विविध भुगतानों की प्रतिपूर्ति

सीएचए से उनके संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने और इसके लिए आरंभ में ही स्वयं भुगतान करने की अपेक्षा होगी । इस कार्य के लिए उन्हें किसी एजेंसी फीस की अनुमति नहीं होगी । एसटीसी की ओर से संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा भुगतान किए गए केवल वास्तविक प्रभार जो ग्राह्य हैं, की उन्हें प्रतिपूर्ति की जाएगी जब उनके दावे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी मूल वाउचरों के साथ विधिवत किए जाएँगे :-

- क) चुँगी प्रभार
- ख) सर्वेक्षण शुल्क
- ग) हवाई भाड़ा
- घ) रेल भाड़ा
- ङ) क्रेन किराया प्रभार

च) प्रोटीज और हटाने का शुल्क

छ) खोलना, दोबारा पैक करना और कस्टम जॉच हेतु स्ट्रेपिंग प्रभार

ज) भंडारण प्रभार

15. हाउस पर फैक्स रिलीज एडवाइज

जब कभी भारत में किसी अन्य कस्टम्स हाउस पर कोई रिलीज एडवाइज अपेक्षित होती है, सीएचए को उसकी व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तथापि, कस्टम्स और फैक्स प्रभारों पर खर्च हुई वास्तविक राशि की उन्हें संबंधित कागजात और वाउचर प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि सीएचए पर्याप्त समय के अंदर टीआरए प्राप्त नहीं कर पाता है और एसटीसी को टीआरए की देरी से उपलब्धता के कारण विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है तो इस कारण हुई देरी के लिए विलम्ब शुल्क की समानुपातिक राशि उनसे वसूल की जाएगी।

16. पारिश्रमिक शुल्क और भुगतान का प्रकार

कस्टम क्लियरेंस के बाद अंतरदेशीय कंटेनर डिपो सहित सभी भारतीय हवाईपत्तनों / पत्तनों पर सभी कार्यों के लिए एजेंसी प्रभार (अनुलग्नक - "क") दरसूची के अनुसार उद्धरित किए जाएँ।

17. कस्टम ड्यूटी को सही करने संबंधी जिम्मेदारी

सीएचए, प्रत्येक प्रेषण पर भुगतान की गयी कस्टम ड्यूटी को सही करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में एजेंट द्वारा क्लियरेंस और परिवहन प्रभारों हेतु उनके बिलों पर एक प्रमाणपत्र यह उल्लेख करते हुए रिकार्ड किया जाएगा कि, "प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में कवर किए गए विविध भुगतानों पर सही कस्टम ड्यूटी आकलित की गयी है और हम अधिक कस्टम ड्यूटी यदि कोई हो, हेतु स्वयं से वसूली के लिए जिम्मेदार होंगे। दावा दायर करने की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर ऐसे अधिक भुगतान को न लौटाने पर, बशर्ते यह 6 महीने की सीमा एसटीसी द्वारा लिखित में बढ़ाई गयी हो। इस विषय में एसटीसी का निर्णय अंतिम और एजेंट पर बाध्यकर होगा। ऐसी राशि की वापसी की व्यवस्था हेतु जहाँ एजेंट द्वारा अधिक कस्टम ड्यूटी अदा की गयी है, कोई सेवा प्रभार (अनुलग्नक - "ख" पर दरसूची के "ग" के अनुसार) फाइलिंग, अनुवर्ती कार्रवाई तथा कस्टम ड्यूटी की प्रतिपूर्ति हेतु चेक प्राप्त करने के लिए अदा नहीं किया जाएगा। संविदा / कार्य आदेश के समाप्त हो जाने और रिफंड मामलों के

निर्धारित समय में निपटान न होने पर (यानी दावा दायर करने की तारीख से 6 माह), प्रतिभूति जमा ऐसे सभी रिफंड केंसों और अन्य दावों तथा इस संविदा के संतोषजनक निष्पादन पर जारी किया जाएगा ।

18. इस संविदा को हैंडल करने वाले व्यक्तियों के नाम एसटीसी से इस मांगपत्र की प्राप्ति पर, सीएचएसएसटीसी को अपने कर्मचारियों की एक सूची देगा जो कस्टम्स, हवाई अड्डे, आईसीडी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे और सीएचएस के कार्यालय में उचित समन्वय और सही ढंग से कार्य हेतु प्रबंधक और परवेक्षक स्तरों पर एसटीसी के कार्य की देखभाल के लिए जा रहे हैं ।

19. समानांतर संविदा

एसटीसी के पास संविदा के कार्यकाल के दौरान या उसके आरंभ में संलग्न अनुलग्नक / सूची में साथ-साथ वर्णित सभी कार्यों या कार्य के भागों हेतु एक से अधिक सीएचएस के साथ जिसे सही समझा जाए संविदा रखने का अधिकार सुरक्षित है ।

20. संविदा का निर्धारण करना

सीएचएसएसटीसी के प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके भाग को किसी अन्य को उप ठेके पर नहीं सौंपेगा । संविदा या उसके भाग के लिए अनुमति मिल जाने पर भी, एसटीसी की संविदा करने वाले व्यक्ति के साथ कोई संविदात्मक जिम्मेदारी नहीं होगी और संविदा के संतोषजनक रूप से पूरा होने के लिए सीएचएस को हमेशा जिम्मेदार माना जाएगा ।

21. कार्य की वैकल्पिक हैंडलिंग

क) यदि सीएचएस इस संविदा के तहत एसटीसी के प्राधिकृत अधिकारी की राय में संतोषजनक रूप से (कर होगाजिनका निर्णय अंतिम होगा और सीएचएस पर बाध्य) सभी समय सभी या किसी प्रकार की सेवा नहीं दे पाता है पर वह अपने विकल्प , यरिंग एजेंट के जोखिम या विभाग से समेकन एवं क्लि/ पार्टियों द्वारा और अन्य और लागत पर काम कराएगा ।

ख) एसटीसी के पास संविदा के संदर्भ में किसी भी आपातकाल को पूरा करने या कार्य को विभाग द्वारा पूरा कराने में किसी अन्य सीएचएस को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है यदि प्राधिकृत अधिकारी (जिसका निर्णय अंतिम होगा) इसे एसटीसी के पूर्ण हित में सही मानता है ।

22. संविदा का समापन

एसटीसी के पास सीएच को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए संविदा को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और सीएच ऐसे समापन के कारण किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा ।

23. कागजातों का संग्रह

सीएच एसटीसी के संबंधित अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों जो भी एसटीसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, हिदायतें प्राप्त करने और पावती देते हुए कागजात इकट्ठे करने के लिए भेजेगा । और यह स्पष्ट रूप से समझा जाएगा कि हिदायतें सीएच कार्यालय को दी गयी हैं या डिलीवरी की गयी हैं ।

24. कागजातों की सुरक्षित अभिरक्षा

सीएच से उनको भेजे गए सभी कागजातों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की अपेक्षा होगी और ऐसे कागजातों के खो जाने पर वे सभी लागत और परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे ।

25. बिलों की प्रस्तुति

क) सीएच द्वारा किए गए कार्य का बिल एसटीसी के प्राधिकृत अधिकारी की दर सूची के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाएगा । सीएच बिलों की 4 प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा । संबद्ध मूल वाउचरों / रसीदों से युक्त बिल न होने पर वे सीएच को लौटा दिए जाएँगे । संबद्ध मूल वाउचरों / रसीदों से युक्त बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।

ख) सीएच प्रत्येक बिलम्ब शुल्क अदा किए परेषण के लिए अपने बिलों के साथ एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें यह परेषण समय पर (अनुलग्नक -ख के अनुसार) क्लियर क्यों नहीं हुआ, का विस्तृत कारण देना होगा ।

26. केन्द्रीय और राज्य कानून

सीएच, स्थानीय प्राधिकारी और सांविधिक निकायों के सभी केन्द्रीय और राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, उपकानूनों और आदेशों के दृढ़तापूर्वक अनुपालन का जिम्मेदार होगा जो समय-समय पर लागू होंगे ।

27. सैट ऑफ खंड

इस संविदा के तहत सीएचए को देय और भुगतान योग्य कोई राशि (प्रतिभूति जमा सहित) और संविदा से या सीएचए द्वारा एसटीसी के साथ की गयी किसी अन्य संविदा के तहत होने वाले भुगतान के लिए एसटीसी के किसी दावे के विरुद्ध एसटीसी द्वारा विनियोजित की जाएगी।

28. एसटीसी पर ठेकेदार के दावे

इस संविदा से होने वाला कोई दावा एसटीसी को पूर्ण परेक्षणों के क्लियरेंस और परेक्षण की तारीख से 90 दिनों की अवधि के अंदर प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। एसटीसी, सीएचए से किसी भी कारण से 90 दिनों की उक्त अवधि के समापन के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा। सिवाए विशेष परिस्थितियों के तहत जो एसटीसी अपने स्वविवेक के तहत स्वीकार करे/ना करे।

29. धन का दुरुपयोग

एसटीसी को सीएचए के विरुद्ध एसटीसी की ओर से ट्रस्ट में उनके द्वारा रखी गयी किसी राशि के दुरुपयोग के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।

30. फाइलों का निरीक्षण और प्रतिधारण (रिटेंशन)

क) एसटीसी को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय सीएचए द्वारा रखी जा रही सभी शिपमेंट क्लियरेंस फाइलों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

ख) संविदा के समाप्त होने के बाद सीएचए से 3 महीने की अवधि के अंदर उसके द्वारा रखी जा रही सभी दावा फाइलों को सौंपने तथा एक क्लीन रसीद प्राप्त करने की अपेक्षा है जिसके आधार पर उनके लेखे निपटाए जाएंगे।

31. अधूरे प्रविष्टि बिल

सीएचए से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा है जिसमें सभी प्रविष्टि बिलों के विस्तृत विवरण हों जो उन्होंने संविदा अवधि के दौरान कस्टम्स प्राधिकारियों को सौंपे हैं। सीएचए से यह भी अपेक्षा है कि वह संविदा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर कस्टम्स द्वारा प्रविष्टि बिलों के लंबित निपटान के विरुद्ध बकाया क्लियर किए गए पैकेजों और बकाया पैकेजों का ब्यौरा देते हुए सभी अधूरे प्रविष्टि बिलों की एक सूची एसटीसी को सौंपेगा।

32. प्रतिभूति जमा

सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि जमा प्रतिभूति जमा के भाग के रूप में बदल जाएगी और इसके अलावा `40,000/- (रूपए चालीस हजार केवल) बैंक ड्राफ्ट/ आरटीजीएस द्वारा जमा किए जाएंगे। इस प्रकार प्रतिभूति जमा के रूप में कुल `50,000/- रूपए (रूपए पचास हजार केवल) जमा होंगे। एमएसई कंपनी को सुरक्षा जमा राशि के तौर पर 50,000/- रूपए जमा करने होंगे यदि एमएसई कंपनी ने निविदा के समय 10,000 रूपए जमा न करके धरोहर जमा राशि की छूट ली हो। प्रतिभूति जमा दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी हानि के लिए जो सीएचए द्वारा संविदा के किसी नियम और शर्तों को तोड़ने के परिणामस्वरूप होगी या संविदा की शर्तों या कानून के तहत एसटीसी के लिए खुले किसी अन्य समाधान के होते हुए एजेंट के असंतोषजनक निष्पादन पर जब्त या विनियोजित की जाएगी।

हानि/असंतोषजनक निष्पादन के लिए विनियोजित की जा रही सीएचए की प्रतिभूति जमा के मामले में, सीएचए सूचना की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर 50 हजार रूपए की पूर्ण राशि प्रतिभूति जमा को पुनः स्थापन करने के लिए प्रतिपूर्ति करेगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत, देय प्रतिभूति जमा, एसटीसी के सभी दावे निपटाए जाने के बाद संविदा के संतोषजनक निष्पादन पर सीएचए को लौटा दी जाएगी। प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

33. सरकारी देयों की वसूली

एसटीसी को सीएचए पर देय किसी सरकारी देयों की बकाया राशि को वसूल करने का अधिकार है जिसको सांविधिक देयता के तहत सरकार को रेमिट करने की अपेक्षा होगी।

34. रिफंड ऑर्डर

क) यदि किसी भी कारण से रिफंड ऑर्डर या चेक कस्टम्स, बीमा कैरियरों द्वारा जारी किया गया है, सीएचए यह देखेगा कि वह उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्ति पर तत्काल सौंप दिया गया है और एसटीसी के पक्ष में एक नया रिफंड ऑर्डर / चेक प्राप्त किया गया है।

ख) सीएचए द्वारा एसटीसी की ओर से उनके द्वारा किए गए दावों के विरुद्ध कस्टम्स/ बीमाकर्ताओं / कैरियरों और / या किसी अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त भुगतान संविदा से संबंधित किसी अन्य मामले में क्लियरिंग एजेंटों द्वारा ट्रस्ट में रखा जाएगा और वह एसटीसी को भुगतानों की प्राप्ति की तारीख से 8 दिनों के

अंदर, जो सीएचए के दावों और बिलों के निपटान भले ही उनमें विवाद हो, की बाबत किसी भी कटौती के बिना शीघ्र ही क्रॉस चेक द्वारा एसटीसी को सौंपा जाएगा और भले ही उनमें विवाद हो या अन्यथा, ऐसा न होने पर सीएचए को अपने अधिग्रहण में शेष राशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार सफल क्लियरिंग एजेंटों के बिलों में से स्रोत पर आयकर काटा जाएगा ।

35. आवेदक निविदाकर्ता, एसटीसी को हर समय इस निविदा के संबंध में या किसी तीसरी पार्टी से या अन्यथा उठने वाले सभी दावों / देयताओं / कार्यवाहियों आदि पर क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखेगा।

36. आवेदक / निविदाकर्ता एतदद्वारा सहमत हैं कि नई दिल्ली स्थित न्यायालय और न्यायाधिकरण किसी या सभी विवादों को निपटाने में विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र रखते हैं जो इस निविदा के संबंध में होंगे । इस निविदा से उठने वाले सभी विवाद भारतीय कानून के अनुसार निपटाए जाएंगे ।

[ON BIDDER'S LETTER HEAD DULY SIGNED]

RATES INCLUSIVE OF GST FOR CUSTOM CLEARANCE OF MATERIAL/ CONTAINERS AT ALL INDIAN AIRPORTS/PORTS INCLUDING INLAND CONTAINER DEPOTS (ICD)

- A. Agency charges for getting the material cleared from custom authorities and taking various approvals etc and then handing over the empty container to the concerned authorities:

Shipment	Charges (in Rs.) per consignment/container	Applicable GST (in Rs.)	Total Charges Quoted (in Rs.)
For Consignment By Air			Rs..... (In words)
For LCL (Part Container Load)			Rs..... (In words)
For 20 feet container			Rs..... (In words)
For 40 feet container			Rs..... (In words)

Yours faithfully,

Signature of the Tenderer
Designation.....

(State the capacity in which the signatory is signing)

JUSTIFICATION FOR DEMURRAGE

- Ref..... STC Ref.....
1. P O No..... Unit.....
 2. Description.....
 3. Flight No..... Date.....
 4. D. O. obtained on
 5. B/E finalized on..... B/E No.....
 6. B/E finalized on.....
 7. Duty amount..... informed on.....
 8. Duty cheque given on.....
 9. Consignment cleared on.....
 10. Consignment dispatched on.....
 11. Reasons of delay if any:

In view of the above, demurrage charges/W/H rent charges incurred are unavoidable and beyond the control of CHA and/or our staff.

Date:

Signature of party representative